

## अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला - उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.

GCMS संख्या : 2021/849

मुकदमा नम्बर : 522/21

### अनवान

1. फतेहलाल पिता शंकर जाति भोई निवासी भीण्डर जिला उदयपुर।
2. रमेश पिता पिता शंकर जाति भोई निवासी भीण्डर जिला उदयपुर।
3. चन्दी पिता शंकर जाति भोई नवासी भीण्डर जिला उदयपुर।
4. चांदी पिता शंकर जाति भोई निवासी भीण्डर जिला उदयपुर।

वादीगण.....

### बनाम

1. डालचन्द पिता शंकर जाति भोई निवासी भीण्डर जिला उदयपुर।
2. रूपाबाई पत्नि डालचन्द जाति भोई निवासी भीण्डर जिला उदयपुर।
3. प्रेमचन्द पिता डालचन्द जाति भोई निवासी भीण्डर जिला उदयपुर।
4. मोहन पिता डालचन्द जाति भोई निवासी भीण्डर जिला उदयपुर।
5. हरीश पिता डालचन्द जाति भोई निवासी भीण्डर जिला उदयपुर।
6. उपपंजीयक अधिकारी भीण्डर जिला उदयपुर।
7. तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर।

प्रतिवादीगण.....

अधिवक्ता वादी : श्री सुशील जैन

अधिवक्ता प्रतिवादी : श्री सुरेन्द्र कुमार चौबिसा, विकास जौशी।

### वाद अन्तर्गत धारा 53 -188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद जिसमें तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर वाद 522/21 उनवान श्री फतेहलाल बनाम श्री डालचन्द का सहायक कलक्टर श्री रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश होने पर वाद को अंतिम डिक्री दी जाती है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 918 के आराजी संख्या 4222 रकबा 0.8900 हैक्टेयर भूमि का बंटवाड़ा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

| क्र. स. | नाम खातेदार  | आ.न.        | रकबा               | किस्म       | लगान |
|---------|--|-------------|--------------------|-------------|------|
| 1       | रूपाबाई पत्नि डालचन्द भोई  | 4222/1      | 0.3538<br>हैक्टेयर | बा. द्वितीय | 1.06 |
| 2.      | फतेहलाल, रमेश, चन्दी, चांदी<br>पिता शंकरलाल भोई सा. देह<br>खातेदार | 4222/2      | 0.4288<br>हैक्टेयर | बा. द्वितीय | 1.28 |
| 3.      | डालचन्द पिता शंकरलाल भोई<br>सा। देह खातेदार                        | 4222<br>मी. | 0.1074<br>हैक्टेयर | बा. द्वितीय | 0.33 |
|         | योग  | 3           | 0.8900<br>हैक्टेयर | बा. द्वितीय | 2.67 |

नोट - उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 05.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)  
सहायक कलक्टर  
भीण्डर

